

निर्णय बड़जलास डॉ. गौरव सैनी आई0ए0एस0 जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी

प्रकरण सं0 09/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

_____ प्रार्थी

भारतीय स्टेट बैंक शाखा – टोडाभीम।

बनाम

1. मैसर्स बाबा ट्रेडर्स गाजीपुर रोड, गोपालपुरा तह0 टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी (ऋणी) ।
2. श्री जनक राज शर्मा पुत्र श्री हरसहाय शर्मा गाजीपुर रोड, गोपालपुरा तह0 टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी (ऋणी, प्रोप व जमानती)
3. श्री हरसहाय शर्मा पुत्र श्री मूल्या राम शर्मा गाजीपुर रोड, गोपालपुरा तह0 टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी (जमानती व गिरवीकृता)

_____अप्रार्थी/ऋणी

The Application under section 14 of the securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of the Security Interest Act, 2002

—:आदेश:—


दिनांक :- 26/03/2024

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की और से एडवोकेट रूकसाना , रजिस्ट्रेशन नं0 3554/07 द्वारा The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of the Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत पेश कर ऋणी/सहऋणी/जमानती से बंधक सम्पत्ति का कब्जा दिलाये जाने बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थीगण ने दिनांक 19/10/2019 को प्रार्थी बैंक से राशि 15,00,000 (पन्द्रह लाख) रू0 की ऋण सुविधा ली थी। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के एवज में अप्रार्थीगण ने श्री हरसहाय शर्मा पुत्र श्री मूल्या राम शर्मा के नाम की अचल सम्पत्ति पट्टा नं0 4 ग्राम गोपालपुरा तह0 टोडाभीम ,जिसका कुल क्षेत्रफल 1210 वर्गफीट है। जिसकी सीमाएं— उत्तर में गली व श्रीफूल मीणा का मकान , दक्षिण में बाबुलाल शर्मा का मकान , पूर्व में गली व जलधारी मीणा का मकान, पश्चिम में खुली भूमि बाद में रास्ता है, को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि व ब्याज राशि को समय अवधि में जमा नहीं कराने के कारण अप्रार्थीगण /ऋणी के खाता को दिनांक 29/06/2023 को N.P.A. (अनर्जक परिसम्पत्ति) घोषित कर दिया गया। प्रार्थी बैंक को दिनांक 07/12/2023 तक राशि 20,35,499 (बीस लाख पैंतीस हजार चार सौ निन्यानवे) रू0 व इसके पश्चात् के ब्याज व अन्य खर्चे ,लागत इत्यादि अप्रार्थीगण पर बकाया निकलता है जिसको अप्रार्थीगण के द्वारा जमा नहीं कराया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा राशि व देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ऋण सुविधा प्राप्त करते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिये प्रार्थना की गई है।

सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के अर्न्तगत अप्रार्थीगण को सुनने का प्रावधान नहीं है। अतः हमारे द्वारा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रार्थी बैंक को अप्रार्थीगण द्वारा ऋण का भुगतान नहीं करने पर दिनांक 29/06/2023 को व्यतिक्रम डिफॉल्ट होने पर एन0पी0ए0 घोषित किया गया है। अप्रार्थीगण के विरुद्ध दिनांक 07/12/2023 तक कुल राशि 20,35,499 (बीस लाख पैंतीस हजार चार सौ निन्यानवे) रू0 व इसके पश्चात् के ब्याज एवं अन्य खर्चे लागत इत्यादि अप्रार्थीगण पर बकाया निकलता है

जिसे भुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक से लिये गये ऋण का भुगतान नहीं किये जाने, तत्पश्चात् प्रार्थी बैंक द्वारा बकाया मांग राशि की प्राप्ति हेतु नियमों के परिपेक्ष्य में समुचित कार्यवाही करने के पश्चात् भी मांग राशि का भुगतान अप्रार्थीगण द्वारा नहीं किये जाने पर प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये प्राधिकृत अधिकारी वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा की 14 के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा गिरवीकृत परिसम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को सुपुर्द करने की मांग की गई है। सरफेसी एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट की संतुष्टि उपरांत जमानत स्वरूप बंधक रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक को कब्जे में दिलवाने में सहयोग करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा समस्त विधिक औपचारिकताओं की पूर्ति की गई है।

अतः वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। ऋण की अदायगी हेतु अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक में श्री हरसहाय शर्मा पुत्र श्री मूल्या राम शर्मा के नाम की अचल सम्पत्ति पट्टा नं० 4 ग्राम गोपालपुरा तह० टोडाभीम, जिसका कुल क्षेत्रफल 1210 वर्गफीट है। जिसकी सीमाएं— उत्तर में गली व श्रीफूल मीणा का मकान, दक्षिण में बाबुलाल शर्मा का मकान, पूर्व में गली व जलधारी मीणा का मकान, पश्चिम में खुली भूमि बाद में रास्ता है, पर शांति पूर्वक मौके पर भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा अधिकृत व्यक्ति को दिलवाये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक, गंगापुर सिटी को आदेशित किया जाता है। प्रार्थी बैंक इस बाबत पुलिस अधीक्षक, गंगापुर सिटी से सम्पर्क कर प्रार्थी बैंक में गिरवीकृत सम्पत्ति को अपने अधिकार में लेने की कार्यवाही करे। तहसीलदार, टोडाभीम को भौतिक कब्जा हस्तांतरण के दौरान की अवधि के लिए मौका मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि वे तत्समय कानून व्यवस्था सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, गंगापुर सिटी व तहसीलदार, टोडाभीम को भिजवायी जावे। सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को सुनने का प्रावधान नहीं है, किन्तु प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय की प्रति अप्रार्थीगण को भी भिजवायी जावे जिससे वह ऋणदाता से सम्पर्क स्थापित कर ऋण चुकता कर प्रकरण का निस्तारण करा सके। इसी क्रम में अप्रार्थीगण को इस आदेश से असंतुष्ट होने की दशा में सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने हेतु एक माह की अवधि प्रदान की जाती है जिसके पश्चात् यह निर्णय प्रभावी हो जावेगा व प्रार्थी बैंक द्वारा अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी। पत्रावली फैसल शुभार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26/03/2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(डॉ. गौरव सैनी)
जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी